ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 प्रस्तावना{क}:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सेरी , विकास खण्ड सलूणी , जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति उतमो देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति सविता देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री भुवनेश कुमार	मार्च 2014 से 18-06-17

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1	5	पूर्व सचिव द्वारा हस्तगत राशि रखना	0.60
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.25
3	8	अनुदानों का अधिक खर्च करना	0.11
4	8.1	अनुदानों का अवरोधन	13.02
5	10	बिल/वाउचर न प्रस्तुत करना	विवरणानुसार
6	11	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन व माप पुस्तिका न प्रस्तुत करना	विवरणानुसार
7	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीद	12.15
8	13	स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	12.83

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँचपरीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13-12-2017 से 15 -12-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय सेरी में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/15, 09/15 व 02/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 04/14,04/15 व 08/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सेरी , विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:286 दिनांक 15-12-17 द्वारा सचिव, पंचायत सेरी से अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति**:- ग्राम पंचायत **सेरी** द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-4-14 से 31-3-17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{i} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत सेरी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	18627	61691	80318	9146	71172
2015-16	71172	25656	96828	18100	78728
2016-17	78728	71409	150137	53000	97137

{ii} अनुदान :-ग्राम पंचायत सेरी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1008258	3265165	4273423	3351691	921732
2015-16	921732	1635664	2557396	1607607	949789
2016-17	949789	4379425	5329214	4027189	1302025

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB salooni	18910103708	1291332
2.	----do------	18910110863	7034
5.	HPGB TELKA	99118100066977	1604
6.		cash in hand(sh.Gajinder singh)	60278
		TOTAL	**₹1360248**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹1399162

(ख) दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1360248

अन्तर :- ₹38914

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत सेरी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹38914 का अन्तर था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पूर्व सचिव द्वारा ₹0.60 लाख हस्तगत रखना :-

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि श्री गजिन्द्र सिंह पूर्व सचिव के पास मार्च 2014 से ₹60278 की राशि नकद के रूप में दर्शाई गई है जो कि आज दिनांक तक नहीं वसूला गया जोकि एक गंभीर मामला है उक्त राशि दण्ड ब्याज सहित दोषी से शीघ्र अति शीघ्र वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग

पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व ₹0.25 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹0.25 लाख की वसूली शेष थी ।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	12000	4250	16250	0	16250
2015-16	16250	4400	20650	0	20650
2016-17	20650	4550	25200	0	25200

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में गृहकर की वसूली नहीं की गई है जोकि एक गंभीर मामला है उक्त बकाया गृह कर की राशि को तुरन्त वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

8 अनुदानों का प्राप्त राशि से₹ 0.11 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव सेरी द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान RAY, VKVNY, के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः **₹7500 ₹ 3624**, इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से **₹11124** अधिक खर्च किए गए। जो कि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

8. 1 अनुदान ₹13.02 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1302025** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वांछित होना पड़ा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत **सेरी** को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से

अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 सीमेंट की 457 बोरियां को प्राइवेट फर्म से खरीदने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -3** के अनुसार 457 सीमेंट की बोरियां प्राइवेट फर्म से खरीदी गई है जबकि सचिव द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सीमेंट की खरीद प्राइवेट फर्म से तभी ख़रीदा जा सकता है जब नजदीकी सिविल सप्लाई कारपोरेशन डिपो से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। मनरेगा निधि के अंतर्गत सीमेंट की खरीद सिविल सप्लाई कारपोरेशन से की गई है। परन्तु अन्य निधि में खरीद प्राइवेट फर्म से की गई है जोकि अनुचित है ,सिविल सप्लाई कारपोरेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र न प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व् अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 बिल/वाउचर न प्रस्तुत करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में माह 04/15 से सम्बन्धित सामान्य रोकड़ बही के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके आभाव में किए गए व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: बिल/वाउचर न प्रस्तुत करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी को अवगत करवाया जाए।

वाउचर सं ,माह	निर्माण कार्य का नाम	व्यय की गई राशि	शीर्ष
शून्य, 09/14	श्मशान घाट धुआरु	19000	BRGF
1 व 2 ,04/16	रिपेयर पनिहार मांजू 1,2	35650	यथोपरि
शून्य,04/14	वाटर टैंक छिद्रों गग्लू	24100	IWDP
शून्य 04/14	वाटर टैंक छिद्रों गग्लू	45400	यथोपरि
शून्य 04/14	वाटर टैंक मुहम्मद टिकरी	20500	यथोपरि
शून्य,04/14	वाटर टैंक अली टिकरी	24800	यथोपरि
शून्य,04/14	वाटर टैंक अब्दुला टिकरी	20500	यथोपरि
शून्य,04/14	कच्चा तालाब शिवम मन्दिर गग्लू	24000	यथोपरि
8 से 10 ,08/14	लिंक रोड मैन रोड से सेरी	200000	13वा वित्त आयोग
शून्य,04/16	तालाब निर्माण मांजू	20000	यथोपरि
शून्य,04/16	रिपेयर वाल छत्रेल	100000	MPLAD

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹12.15 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹1214805** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत सेरी को अवगत करवाया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 क्रय की गई ₹12.83 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26, 27 व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर **₹1282690** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत सेरी को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए भण्डार प्राप्ति व उपयोग लेखा तैयार कर आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

14 निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -3** के अनुसार पत्थर की **123.50 फरी(ढेर)** की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में पत्थर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है व उच्च अधिकारियों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है। अत: पत्थर की मात्रा के स्थान पर केवल फरी दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 रोकड़ बही को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम7(1) के अनुसार सचिव द्वारा तैयार रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित किया जायेगा परन्तु निम्नलिखित अवधि की रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित नहीं किया गया था जिसके आभाव में इस अवधि में आय व व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए इन रोकड़

बहियों को सम्बन्धित प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

क्रम सं	रोकड़ बही का नाम	अवधि
1.	BRGF	04/14 से 03/17
2.	मनरेगा	06/16 से 03/17
3.	सामान्य निधि	26-07-16 से 03/17

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत सेरी को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

17 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

19 **लघु-आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

20 **निष्कर्ष** :-लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)22/2018 खण्ड–1–3430–3433 दिनांक 16.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881